

न्यायालय — पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.  
(आप.प्रक.क. :- 509 / 2016)  
(संस्थित दिनांक :- 23 / 08 / 16)

म.प्र.राज्य,  
द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ।  
जिला-भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन।

// विरुद्ध //

01. पुष्पेन्द्र सिंह चौहान पुत्र सूरज सिंह चौहान, उम्र 36 वर्ष।  
निवासी :- ग्राम किटी, थाना :- मौ, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)।

..... अभियुक्त।

// निर्णय //

( आज दिनांक :- 05 / 10 / 2017 को घोषित )

01. आरोपी पुष्पेन्द्र सिंह पर धारा :- 279, 337 एवं 338 भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी ने दिनांक :- 22 / 04 / 2016 को दोपहर लगभग 03:45 बजे किटी रोड़ पुलिया के पास लोकमार्ग पर, उसके आधिपत्य के वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी. 30 / एम.बी. / 0346 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया, तथा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर फरियादी मंगल सिंह की मोटर साईकिल क्रमांक जी.जे.01 / एफ.एस. / 2666 में टक्कर मारकर आहत रामलखन को उपहति एवं फरियादी मंगल सिंह को टक्कर मारकर अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की।

02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना निर्विवादित एक तथ्य है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 22 / 04 / 2016 को दोपहर लगभग 03:45 बजे किटी रोड़ पुलिया के पास लोकमार्ग पर, वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.30 / एम.बी. / 0346 के चालक पुष्पेन्द्र सिंह द्वारा उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर फरियादी मंगल सिंह की मोटर साईकिल क्रमांक जी.जे.01 / एफ.एस. / 2666 में टक्कर मारकर उसे एवं रामलखन को उपहति कारित करने की देहाती नालसी फरियादी मंगल सिंह द्वारा सीएचसी मौ में लेखबद्ध कराये जाने पर आरोपी वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.30 / एम.बी. / 0346 के चालक पुष्पेन्द्र सिंह के विरुद्ध जीरो पर कायमी की गई। उक्त देहाती नालसी के आधार पर वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.30 / एम.बी. / 0346 के चालक पुष्पेन्द्र सिंह के

विरुद्ध अपराध क्रमांक 80/16 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। फरियादी मंगल सिंह के एक्स-रे परीक्षण रिपोर्ट में अस्थिभंग होने का उल्लेख होने के कारण आरोपी के विरुद्ध धारा 338 भा.द.सं. का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपी पुष्पेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपी पुष्पेन्द्र सिंह द्वारा पेश करने पर वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.30/एम.बी./0346 मय दस्तावेज की छायाप्रतियाँ जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। जब्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। फरियादी मंगल सिंह, आहत रामलखन एवं साक्षी विजेन्द्र के कथन लेखबद्ध किए गये। तदोपरांत विवेचनापूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त पुष्पेन्द्र के विरुद्ध धारा 279, 337 एवं 388 भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपी एवं फरियादी/आहत के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्त को धारा 337 एवं 338 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।

05. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी पुष्पेन्द्र ने दिनांक :- 22/04/2016 को दोपहर लगभग 03:45 बजे किटी रोड़ पुलिया के पास लोकमार्ग पर, उसके आधिपत्य के वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.30/एम.बी./0346 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?

02. अंतिम निष्कर्ष?

#### सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

06. फरियादी मंगल सिंह अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी पुष्पेन्द्र को नहीं जानता। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 22/08/2017 से लगभग एक वर्ष पूर्व की होकर दोपहर के समय की है। उस समय वह अपने पिता रामलखन के साथ ग्राम किटी से मौ की तरफ जा रहा था। उसी समय मौ की तरफ से आ रहे एक मोटर साईकिल चालक ने उसकी मोटर साईकिल में उपेक्षापूर्वक चलाकर टक्कर मार दी, जिससे उसे एवं उसके पिता रामलखन को चोट आई थी। साक्षी आगे कहता है कि उसने उक्त घटना की रिपोर्ट देहाती नालासी के रूप में अस्पताल मौ में की थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.02 बनाया था। पुलिस ने ६

।टना के बारे में पूछताछ कर उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी फरियादी मंगल सिंह अ.सा.01 ने आरोपी पुष्पेन्द्र सिंह द्वारा दिनांक :- 22/04/2016 को दोपहर लगभग 03:45 बजे किटी रोड़ पुलिया के पास लोकमार्ग पर, उसके आधिपत्य के वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.30/एम.बी./0346 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने का तथ्य नहीं बताया है। इस वावत् फरियादी मंगल सिंह अ.सा.01 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई देहाती नालसी प्र.पी. 01 एवं पुलिस कथन प्र.पी.03 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभास की प्रकृति के है।

07. आहत रामलखन अ.सा.02 ने अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर आरोपी पुष्पेन्द्र द्वारा दिनांक :- 22/04/2016 को दोपहर लगभग 03:45 बजे किटी रोड़ पुलिया के पास लोकमार्ग पर, उसके आधिपत्य के वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.30/एम.बी./0346 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

08. आरोपी एवं फरियादी/आहत के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख पर है और फरियादी मंगल सिंह अ.सा.01 एवं आहत रामलखन अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।

09. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी पुष्पेन्द्र ने दिनांक :- 22/04/2016 को दोपहर लगभग 03:45 बजे किटी रोड़ पुलिया के पास लोकमार्ग पर, उसके आधिपत्य के वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.30/एम.बी./0346 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया।

10. अभियोजन आरोपी पुष्पेन्द्र के विरुद्ध धारा 279 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्त पुष्पेन्द्र को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

11. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। प्रतिभू को स्वतंत्र किया जाता है।

12. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.30/एम.बी./0346 पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी कैलाश के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगीनामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।  
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद